

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
11/01/2023

रजिस्टर्ड नम्बर  
2023/1

प्रवेश तिथि  
10-01-2023

निर्णय दिनांक  
31-05-2023

- 01- रामेश्वरी यादव पुत्री स्व० रामचन्द्र पत्नी रमेश जाति अहीर निवासी एफ-7/3 वी गली नम्बर 5 ईस्ट ज्योति नगर मण्डोली सबोली उत्तरी पूर्वी दिल्ली।  
02- कमला पुत्री स्व० रामचन्द्र पत्नी दीनदयाल जाति अहीर निवासी नियर पुलिस लाईन रथखाना मौहल्ला अलवर तहसील व जिला अलवर।  
03- नीरज यादव पुत्र स्व० भीमसिंह,  
04- रामेश्वर पुत्र स्व० भीमसिंह (वारिसान स्व० श्रीमति राधा पुत्री स्व० रामचन्द्र) निवासी ग्राम धर्मपुरा धनजीवाना तहसील छाता जिला मथुरा- उत्तर प्रदेश।

-अपीलांट

बनाम

- 01- नायब तहसीलदार कठुमर जिला अलवर (राज०)  
02- कलावती पत्नी स्व० जगमोहन,  
03- जगवीर पुत्र स्व० जगमोहन,  
04- प्रीती पुत्री स्व० जगमोहन,  
05- अल्का पुत्री स्व० जगमोहन,  
06- कान्ता पुत्री स्व० जगमोहन,  
07- लक्ष्मी पुत्री स्व० जगमोहन, निवासीयान ग्राम बिसली कठुमर जिला अलवर (राज०)

- रेस्पोंडेण्टान



अपील विरुद्ध आज्ञा नायब तहसीलदार कठुमर दिनांक 23.05.1998 नामान्तकरण संख्या 166 वाके ग्राम बिसली तहसील कठुमर जिला अलवर जिसके द्वारा मृतक रामचन्द्र की विरासत का नामान्तकरण बेजा तोर पर स्वीकार किया गया है।

उपस्थित:-

- 01-श्री अनिल गुप्ता  
01-श्री रविन्द्र सिंह  
03-श्री दीपक मीना

-वकील अपीलान्ट

-वकील रेस्पों संख्या 2 लगा० 4

-राजकीय अभिभाषक

-:निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार कठुमर के निर्णय दिनांक 23.05.1998 नामान्तकरण संख्या 166 वाके ग्राम बिसली तहसील कठुमर से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि मृतक रामचन्द्र पुत्र किशन सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ग्राम बिसली

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

तहसील कटूमर में स्थित है, रामचन्द्र का दिनांक 17.01.1998 को फौत हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 166 नायब तहसीलदार कटूमर द्वारा दिनांक 23.05.1998 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के पति/पिता जगमोहन के पक्ष में स्वीकार किया गया। विवादित नामान्तकरण केवल रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति के नाम गलत रूप से पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर नायब तहसीलदार कटूमर द्वारा दिनांक 23.05.1998 को स्वीकार किया गया है। मृतक के सभी वारिसान जिनमें अपीलाण्टान के नाम दर्ज नहीं किये, तहत अदालत द्वारा विवादित नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व मृतक रामचन्द्र के वारिसान की जाँच करनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी है। मृतक रामचन्द्र पुत्र किशन सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बरान 28 रकबा 2.10 ऐयर, 29 रकबा 0.05 ऐयर, 30 रकबा 1.42 ऐयर, 46 रकबा 0.67 ऐयर, 73 रकबा 0.29 ऐयर, 185 रकबा 0.23 ऐयर, 266 रकबा 0.46 ऐयर, 298 रकबा 0.29 ऐयर, 345 रकबा 0.33 ऐयर, 357 रकबा 0.40 ऐयर, 364 रकबा 0.37 ऐयर, 419 रकबा 0.57 ऐयर कुल रकबा 7.18 है। सम्पूर्ण हिस्सा व आराजीयात खसरा नं० 10 रकबा 1.77 है। हिस्सा 1/2, 350 रकबा 0.61 है। हिस्सा 4/9, 93 रकबा 1.68 है। हिस्सा 1/3, 301 रकबा 0.700 है। हिस्सा 7/12, 299 रकबा 0.33 है। हिस्सा 1/3, 173 रकबा 76 है। हिस्सा 1/8, 366 रकबा 0.06 है। हिस्सा 1/3, 332 रकबा 0.06 है। हिस्सा 7/64, 319 रकबा 1.42 है। हिस्सा 1/5, 302 रकबा 0.09 है। हिस्सा 13/64 व अन्य वाके ग्राम बिसली तहसील कटूमर जिला अलवर में स्थित है, मिन अपीलाण्टान संख्या 1 व 2 मृतक रामचन्द्र यादव की कानूनी व जायज पुत्रीया है एवं अपीलाण्टान संख्या 3 व 4 मृतक राधा पुत्री रामचन्द्र यादव के कानूनी वारिसान है एवं मिन अपीलाण्टान संख्या 3 व 4 की माता राधा मृतक रामचन्द्र यादव की कानूनी व जायज पुत्री है। इस प्रकार मिन अपीलाण्टान को मृतक रामचन्द्र यादव की आराजीयात में कानूनी हक व अधिकार प्राप्त है, तथा मिन अपीलाण्टान के पिता/नाना रामचन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 17.1.1998 को हो गया। जिनकी धर्म पत्नी रेशम देवी का स्वर्गवास वर्षों पूर्व हो चुका है, जिनके एक पुत्र जगमोहन व तीन पुत्रीया कमला, रामेश्वरी व राधा कुल चार वारिस हुये जिनमें से एक पुत्री राधा जो अपीलाण्टान संख्या 3 व 4 की माता है का स्वर्गवास हो चुका है, तथा मृतक रामचन्द्र के दत्तक पुत्र जगमोहन का स्वर्गवास भी दिनांक 5.3.2016 को हो गया है, जिनके वारिसान रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 है, जो उनकी पत्नी के बच्चे है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 का पिता/पति मृतक जगमोहन जो स्व० रामचन्द्र का पुत्र था, अपने आपको रामचन्द्र का विधिक वारिस बताकर अपने नाम नामान्तकरण संख्या 166 स्वीकृत करा लिया गया जबकि मिन अपीलाण्टान रामचन्द्र के कानूनी व जायज वारिसान होने पर उनकी आराजी में अपीलाण्टान का भी हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार मृतक रामचन्द्र की आराजी में अपीलाण्टान संख्या 1 व 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा व अपीलाण्टान संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा व रेस्पोंडेण्टान संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति मृतक जगमोहन का 1/4 हिस्सा है। मिन अपीलाण्टान मृतक रामचन्द्र की अपीलाधीन आराजीयात पर भी मिन अपीलाण्टान का कब्जा व काश्त है, तथा मिन अपीलाण्टान ने हमेशा सही सोचा की रामचन्द्र की विरासत का नामान्तकरण कानूनी रूप से उनके नाम स्वीकृत दर्ज हो गया होगा तथा मिन अपीलाण्टान को अपीलाधीन नामान्तकरण की कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी तथा मिन अपीलाण्टान दिनांक 28.12.2022 को अपने हिस्से की आराजी पर काश्त की देखभाल करने के लिये गये तो रेस्पोंडेण्टान संख्या 2 लगायत 7 के द्वारा मिन अपीलाण्टान के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा की और झगडा फसाद किया और कहा कि इस आराजी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यह आराजी हमारे नाम से चली आ रही है, जिस पर मिन अपीलाण्टान द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल हेतु आवेदन किया गया जो नकल दिनांक 30.12.2022 को प्राप्त हुई जिससे गलत नामान्तकरण की जानकारी हुई जिस पर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.1998 की जानकारी दिनांक 28.12.2022 से नकल प्राप्त करने की दिनांक 30.12.2022 तक व उसके बाद कानूनी सलाह व मशवरा करने में गुजरे समय को कन्ड्रोन किये जाने हेतु न्यायहित में न्यायोचित है, इस हेतु दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलाण्टान अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलाण्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.1998 को निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त मिन कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

विद्वान वकील रेस्पोडेण्टान संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अपनी बहस में निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 166 निर्णय दिनांक 23.05.1998 ग्राम बिसली तहसील कठूमर निरस्त कर मृतक रामचन्द्र की आराजीयात में गिन अपीलाण्टान संख्या 1 व 2 का बहिस्से बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा व अपीलाण्टान संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेण्टान संख्या 2 लगायत 7 का हिस्सा 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते जाहिर किया है, कि अपीलाण्टान द्वारा 25 वर्ष पश्चात यह अपील पेश की गयी है, अपील पेश किये जाने में हुये विलम्ब का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है, जबकि विलम्ब के मामले में दिन प्रति-दिन का व्यौरा देना होता है। तहत अदालत नायब तहसीलदार कठूमर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 166 वाके ग्राम बिसली तहसील कठूमर विधिवत जाँच कर निर्णय पारित किया गया है। अपील में पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान/रेस्पोडेण्टान व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्त ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 166 निर्णय दिनांक 23.05.1998 वाके ग्राम बिसली तहसील कठूमर जिला अलवर के विरुद्ध अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 10.01.2023 को पेश की गयी है, जो 25 वर्ष पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.1998 की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 30.12.2022 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्त का मुख्य कथन है, कि विवादित नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 166 निर्णय दिनांक 23.05.1998 ग्राम बिसली तहसील कठूमर मृतक रामचन्द्र पुत्र किशन सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ग्राम बिसली तहसील कठूमर में स्थित है, रामचन्द्र का दिनांक 17.01.1998 को फौत हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण नायब तहसीलदार कठूमर द्वारा दिनांक 23.05.1998 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के पति/पिता जगमोहन के पक्ष में स्वीकार किया गया। विवादित नामान्तकरण केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति के नाम गलत रूप से पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर स्वीकार किया गया है। मृतक के सभी वारिसान जिनमें अपीलाण्टान के नाम दर्ज नहीं किये गये हैं, तथा नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व मृतक रामचन्द्र के विधिक वारिसान की जाँच करनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी है। अपील अपीलाण्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टान स्वीकार कर तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है, नामान्तकरण संख्या 166 निर्णय दिनांक 23.05.1998 ग्राम बिसली तहसील कठूमर के संबंध में विधिक वारिसान की पुनः जाँच कर सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिवत निर्णय पारित करे।। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल रिकार्ड की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)  
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)